



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय  
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO.1-6/Renewal/2021-INC

Dated- 21 MAR 2022

**NOTIFICATION**

**Sub:- Last date for uploading the Compliance report by the Institution where suitability is not extended is 28<sup>th</sup> March, 2022.**

In continuation of the earlier notification dated 04.03.2022 the last date of uploading of compliance report for Renewal of Suitability under Section 13 and 14 of the INC Act is extended upto **28<sup>th</sup> March, 2022** via online mode through INC website [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) (under Institution login placed at S.No 1) under compliance menu in same Application ID. INC shall not accept any compliance report after the due date and may also take necessary action under Section 13 and 14 of the INC Act, 1947, if required.

Yours faithfully

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur  
Secretary

Copy forwarded to:-

1. Registrar, All State Nursing Councils
2. Principal, Schools/Colleges of Nursing
3. INC website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) E-mail: [secy.inc@gov.in](mailto:secy.inc@gov.in)  
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय  
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ संख्या 1-6/नवीकरण/2021-आईएनसी


दिनांक: 21 मार्च, 2022

## अधिसूचना

विषय:- जिन संस्थानों की उपयुक्तता का नवीनीकरण नहीं किया गया है, उनके द्वारा अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2022 तक बढ़ाई जाती है।

पूर्व अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम में भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत उपयुक्तता के नवीनीकरण के लिए अनुपालन रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट क्रमांक 1 पर दिए गए संस्थान लॉग-इन के तहत भारतीय उपचर्या परिषद् वेबसाइट [www.indianursingcouncil.org](http://www.indianursingcouncil.org) पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है, जो उसी Application ID में Compliance Menu के तहत रखा गया है। भारतीय उपचर्या परिषद् नियत तिथि के बाद किसी भी अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

भवदीया,

  
लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर  
सचिव  
भारतीय उपचर्या परिषद्

### प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
2. सभी स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य
3. आईएनसी वेबसाइट

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत  
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) E-mail: [secy.inc@gov.in](mailto:secy.inc@gov.in)  
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822